

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 21, जून, 2018

समय : 11.30 बजे पूर्वाह्न

स्थान : सभागार, मुख्य सचिव महोदय,
उ0प्र0 शासन।

उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की चतुर्थ बैठक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/पदेन अध्यक्ष, की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये निम्न प्रकार से एजेण्डावार प्रस्तुतीकरण किया गया :—

क्रमांक	एजेण्डा	निर्णय
1.	कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.12.2017 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना।	सदस्य संयोजक द्वारा कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.12.2017 की अनुपालन आख्या को पढ़कर सुनाया गया तथा सभी उपस्थिति सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा इस पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी।
2.	नेशनल एडाप्टेशन फण्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति की सूचना प्रस्तुत करना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु अब तक की प्रगति से अवगत कराना तथा क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।	सदस्य संयोजक द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा अक्टूबर, 2018 (खरीफ फसल की कटाई का अनुमानित समय) के आलोक में टाइम बाउण्ड एक्शन प्लान तथा कार्यक्रम से जुड़े विभाग की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारियों के आलोक में बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
3.	जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को सहयोग/समन्वय प्रदान करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कार्यकारी समिति को अवगत कराना।	कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया गया तथा समिति ने अब तक की प्रगति से अपनी सहमति व्यक्त की।
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 03 जनपदों क्रमशः बागपत, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्धनगर में बोर्ड के सहयोग से संचालित कृषक क्लस्टरों के माध्यम से काली, कृष्णा एवं हिण्डन नदियों के किनारे कृषकों की खाली पड़ी	विभाग के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुये इसके क्षेत्र स्तर पर क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी संस्थाओं के समयबद्ध चयन के निर्देश दिये गये। सचिव, नियोजन द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम SRLM के सहयोग से किये जाने हेतु भी

	भूमि/अनुपजाऊ भूमि (लगभग Abandoned 700 ईंट भट्ठो के काशण लगभग 3000 एकड़ भूमि बेकार है।) पर बायोमास कल्टीवेशन कार्यक्रम का कियान्वयन प्रोजेक्ट मोड में करने हेतु नेशनल बैम्बो मिशन में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।	प्रयास किया जा रहा है। इससे सम्बन्धित आजीविका समूहों की आय में स्थायी वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल भिलेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रयास की सहमति प्रदान करते हुए इसे प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में सदस्य संयोजक द्वारा समिति के समक्ष सुझाव दिया गया कि संस्थाओं के चयन के समय कार्यक्रम से जुड़े किसान वलस्टरों/फार्मर प्रोड्यूसर आरगनाइजेशन को प्राथमिकता पर कियान्वयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना उचित होगा। मा० मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि बोर्ड द्वारा यह प्रयास करना चाहिए कि परियोजनाओं को तकनीकी सहयोग प्रदान करें तथा क्रियान्वयन का दायित्व सक्षम एजेंसी को सौंपा जाये।
5.	नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित मेथेनाल कुक स्टोव की पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन प्रक्रिया की वर्तमान प्रगति से कार्यकारी समिति को अवगत कराना तथा इसकी निरंतरता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।	सम्बन्धित पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के प्रस्ताव के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस विषय पर विस्तृत टेक्नो इकनॉमी फिजीबिलिटी रिपोर्ट नीति आयोग से मंगवा ली जाय। उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक : 27.12.2017 को आयोजित बैठक में मा० सदस्य नीति आयोग से अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त परिचर्चा के उपरांत मुख्य सचिव महोदय द्वारा एजेण्डा बिन्दु सं0-02 तथा 04 के क्रम में रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर से क्रमशः कृषि अपशिष्टों द्वारा जलाये जाने सम्बन्धित गॉवों का विवरण तथा एन0सी0आर0 के जनपदों क्रमशः बागपत, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्धनगर में बेकार पड़े ईंट भट्ठो की रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर से सेटेलाइट पिक्चर सहित टाइम बाउण्ड एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ ही एजेण्डा सं0- 6 से 10 तक पर परिचर्चा हेतु दिनांक 25.06.2018 को अपराह्न 1.00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड के कार्यकारी समिति की बैठक के निर्देश प्रदान किये गये। तदोपरान्त सदस्य संयोजक द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की घोषणा की गयी।

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन,
कृते अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
(नियोजन विभाग)

कक्ष संख्या : 534-535, पांचवा तल, योजना भवन, लखनऊ,

पत्रांक : 137 /उ०प्र०रा०जै०ऊ०वि०ब००/2018

लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2018

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;

1. श्री के०वी० राजू आर्थिक सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री महोदय, उ०प्र० सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन/उपाध्यक्ष, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को माननीय उपाध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग/वित्त विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/
वन विभाग/पर्यावरण विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग,
उ०प्र० शासन/पदेन सदस्य।
5. अध्यक्ष, बायोडीजिल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई।
6. निदेशक, सी०एस०आई०आर०—आई०आई०टी०आर०, लखनऊ।
7. समस्त प्रतिभागी।
8. नियोजन अनुभाग—1
9. गार्ड फाईल।

P.S. १६
२६/६/१४

(पी०एस० ओझा)

सदस्य संयोजक

उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।